FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा,राजस्थान

प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल .... बनाम कन्हैयालाल पुत्र नन्दा ....

किस्म मुकदमा/धारा:– प्रार्थना-पत्र /111-128 ....

प्रकरण संख्या 58 /2026 जी.सी..एम.एस. नम्बर:–........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
_/04/2026	प्रार्थना–पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 9/04/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	
04/2026	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणो को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजोलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 58/26 दि. तारीख – 1/4/2026

प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र नन्दा जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांकः – 9/04/2026

प्रार्थना पत्र **प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड़** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा इन्द्रपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 04 पर अंकित आराजी संख्या 552/18 रकबा 2.5414 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कास्यां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा इन्द्रपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 04 पर अंकित आराजी संख्या 552/18 रकबा 2.5414 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 58/2026

दा. तारीख – 1/4/26
च. तारीख – 9/4/2026

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......58....../ 2026 पत्थरगढ़ी बाबत्।

प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र नन्दा जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा इन्द्रपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 04 पर अंकित आराजी संख्या 552/18 रकबा 2.5414 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **कास्यां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/–तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा